आईआईपीडीएफ योजना

1 परिचय

1.1 अर्थव्यवस्था के लिए निरंतर आधार पर उच्चतर विकास पथ पर अग्रसर होने के लिए गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का प्रावधान महत्वपूर्ण है। अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश को आगे बढ़ाते हुए, सरकार अवसंरचना परियोजनाओं में निजी निवेश के लिए एक उपयुक्त नीतिगत ढांचा विकसित करने और साथ ही पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और विनियमन के माध्यम से पर्याप्त जांच और संतुलन रखने में सक्रिय रूप से लगी हुई है। नतीजतन, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन और संचालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी पूंजी को आकर्षित करने और अवसंरचना परियोजनाओं के एक बड़े शेल्फ को शुरू करने के लिए सार्वजनिक पूंजी का लाभ उठाने के अलावा, पीपीपी निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और लागत घटाने वाली प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ संचालन और रखरखाव में दक्षता के फायदे भी लाते हैं।

1.2 इस दिशा में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2007-08 के बजट भाषण में परियोजना तैयार करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए 100 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक चल निधि की स्थापना करने की संसद में घोषणा की थी, तदनुसार, "भारतीय अवसंरचना परियोजना विकास निधि" (आईआईपीडीएफ) नामक कॉरपस कोष आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के विकास का समर्थन करने के लिए 100 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ बनाया गया था जो निजी क्षेत्र को दिए जा सकते हैं।

1.3 अवसंरचना भी आत्मनिर्भर भारत के स्तंभों में से एक है। इस प्रकार, राष्ट्र में तेजी से अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने के लिए, पीपीपी मोड पर शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की एक पाइपलाइन बनाने के लिए परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।

1.4 इसलिए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2022-23 के बजट भाषण में घोषणा की कि अवसंरचना की जरूरतों के वित्तपोषण के लिए, सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए निजी पूंजी द्वारा एक बड़े पैमाने पर पूरक करने की आवश्यकता होगी – "बहुपक्षीय एजेंसियों से तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ पीपीपी सहित परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता उपायों को बढ़ाने के लिए उपाय किए जाएंगे। वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, वित्तपोषण के नवीन तरीकों और संतुलित जोखिम आवंटन को अपनाकर प्राप्त किया जाएगा"।

1.5 पीपीपी एक सतत विकसित होने वाली प्रक्रिया है जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संबंध समय-समय पर बदलते रहते हैं। कई कानूनी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दे हैं जिनका अवसंरचना में पीपीपी की सफलता पर असर पड़ता है और इसलिए उनके विकास के लिए सक्रिय योजना, नीति निर्माण और नियामक उपायों के माध्यम से समर्थन को शामिल करने वाले एक सक्षम पारिस्थितिकी-तंत्र की आवश्यकता होती है।

1.6 पीपीपी परियोजनाओं को लागू करने में शामिल लेनदेन जटिल और महत्वपूर्ण हैं। उच्च प्रारंभिक निवेश, रियायत अवधि के लिए सार्वजनिक आस्तियों का निजी क्षेत्र के भागीदार को हस्तांतरण, समावेशी विकास के उद्देश्यों के साथ वाणिज्यिक निजी हितों की अलग-अलग जरूरतों को संतुलित करने की आवश्यकता, परियोजना संरचना की अहमियत को रेखांकित करते हैं। परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, अक्सर, सरकारी व्यवहार्यता वित्त पोषण सहायता की भी आवश्यकता हो सकती है। अवसंरचना परियोजनाओं में निजी भागीदारी से आर्थिक रूप से इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए, निजी और सरकारी भागीदारों के बीच जोखिमों का उचित आवंटन और दोनों पक्षों को लाभ का संतुलन महत्वपूर्ण है। इस तरह की परियोजनाओं में राज्य पर पर्याप्त आकस्मिक देनदारी को देखते हुए, उचित परिश्रम भी आवश्यक है।

1.7 पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों (पीएसए) को कुशल, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से परियोजनाओं के आवंटन और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक परियोजना दस्तावेज तैयार करने और लेनदेन को बंद करने के लिए विशेषज्ञ वित्तीय, कानूनी और तकनीकी सलाह की आवश्यकता है। लेनदेन सलाहकार "टीएज" (सलाहकारों) की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि पीपीपी परियोजना की सफलता एक अच्छी तरह से संरचित परियोजना पर निर्भर करती है, जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। पीपीपी परियोजना के कार्यों में शामिल हैं-एक राजस्व मॉडल विकसित करना, व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर लागत अनुमानों की समीक्षा करना, बोली प्रक्रिया में प्रायोजक प्राधिकरण की सहायता करना और अंत में लेनदेन को सफलतापूर्वक बंद करना। सलाहकारों को सभी लागतों और राजस्व से संबंधित वित्तीय डेटा एकत्र करने, संकलित करने और विश्लेषित करने और एक कुशल और आर्थिक तरीके से परियोजना जोखिमों की पहचान और आवंटन में मदद करने की आवश्यकता होती है।

1.8 टीए का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सलाहकार पीएसए को स्पष्ट रूप से सरकार के संसाधनों पर परियोजना के वित्तीय प्रभाव के बारे में स्पष्ट रूप से समझाते हैं- प्रत्यक्ष और आकस्मिक- और परियोजना के वित्तपोषण और संचालन के लिए इष्टतम संरचना बोलीदाताओं के साथ बैठकों और सम्मेलनों में भाग लेने के अलावा और समय-समय पर

उत्पन्न होने वाले विविध वाणिज्यिक मुद्दों को हल करने में पीएसए को सलाह देना और सहायता करना है।

1.9 लेनदेन सलाहकारों की प्रापण लागतें महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण के सीमित बजट पर बोझ डालती है।

1.10 तदनुसार, मौजूदा भारतीय अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) की विशेषताएं बढ़ी हैं और वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में इस निधि का पुनर्गठन किया गया है।

2. आईआईपीडीएफ का प्रयोजन

2.1 आर्थिक कार्य विभाग (आर्थिक कार्य विभाग) ने आईआईपीडीएफ योजना को एक तंत्र के रूप में पहचाना है जिसके माध्यम से परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण पीपीपी लेनदेन लागतों को कवर करने के लिए वित्त पोषण प्राप्त करने में सक्षम होगा, जिससे उनके बजट पर टीए की खरीद से संबंधित लागतों के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। भारत सरकार के दृष्टिकोण से, आईआईपीडीएफ योजना पीपीपी परियोजनाओं की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि करेगी जो केंद्र या राज्यों की परियोजना पाइपलाइन के माध्यम से संसाधित की जाती हैं।

2.2 आईआईपीडीएफ योजना के तहत परियोजना विकास लागत को पूरा करने के प्रयोजनार्थ पीपीपी परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों को वित्त पोषण उपलब्ध है जिसमें व्यवहार्यता अध्ययन, पर्यावरण प्रभाव अध्ययन, वित्तीय संरचना, कानूनी संरचना के संबंध में परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा किए गए खर्च शामिल हो सकते हैं। परियोजना प्रलेखन की समीक्षा और विकास, जिसमें रियायत समझौता, वाणिज्यिक मूल्यांकन अध्ययन (यातायात अध्ययन, मांग मूल्यांकन, मूल्यांकन भुगतान करने की क्षमता सहित), परियोजनाओं की ग्रेडिंग आदि शामिल हैं, जो व्यक्तिगत या टर्नकी आधार पर ऐसी परियोजनाओं के तकनीकी समापन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा अपने स्वयं के कर्मचारियों पर किए गए खर्च शामिल नहीं हैं। किसी पीपीपी परियोजना पर सलाहकारों और लेनदेन सलाहकारों की लागत को वित्तपोषित करने के लिए आईआईपीडीएफ योजना के तहत वित्त पोषण का लाभ उठाया जा सकता है।

3. आईआईपीडीएफ योजना के तहत वित्त पोषण

3.1 आईआईपीडीएफ योजना के तहत एक एकल प्रस्ताव (परियोजना टीए/सेमिनार/कार्यशाला/व्यावसायिक सेवा व्यय, आदि) के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये

की धनराशि हो सकती है। इस निधियन में उस पर किसी भी तरह का कर शामिल होगा और आईआईपीडीएफ योजना के तहत निधियन की कुल राशि, कर सहित, यदि कोई हो, 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी। 5 करोड़ रुपये से अधिक की कोई भी आवश्यकता परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा ही वहन की जाए।

3.2 आईआईपीडीएफ योजना के तहत, पीपीपी परियोजना के सलाहकारों/लेनदेन सलाहकारों की लागत को वित्तपोषित किया जा सकता है, जहां सलाहकारों/टीए को खरीद की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से नियुक्त किया जाता है जिसमें आर्थिक कार्य विभाग के पैनल में शामिल टीए की सूची या अन्य केंद्रीय मंत्रालय/विभाग या राज्य सरकार या नामांकन के आधार पर, लागू जीएफआर नियमों के अनुसार किसी के पैनल में शामिल टीए की सूची शामिल है। लेकिन इसमें परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा अपने स्वयं के कर्मचारियों पर किए गए खर्च शामिल नहीं होंगे।

3.3 इसके अतिरिक्त, पीपीपी को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आयोजित किसी भी संगोष्ठी/कार्यशाला/इन्फ्रा टेक चैलेंज आदि के लिए किए गए खर्च को भी आईआईपीडीएफ योजना के तहत वित्त पोषित किया जा सकता है। इसके अलावा, आर्थिक कार्य विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने सहित पेशेवर सेवाओं के विशिष्ट कार्यों के लिए सलाहकारों/टीए को नियुक्त करने के लिए आईआईपीडीएफ योजना के तहत धन का उपयोग भी कर सकता है। वार्षिक बजट का अधिकतम 20% और साथ ही योजना के लिए कुल आवंटन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किया गया है।

3.4 यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि आईआईपीडीएफ योजना के तहत इस तरह के सभी वित्त पोषण के परिणामस्वरूप एक सफल पीपीपी परियोजना नहीं हो सकती है क्योंकि पीपीपी परियोजना की सफलता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इसलिए, आईआईपीडीएफ योजना के तहत धन की वसूली नहीं की जाएगी। हालांकि, दिशानिर्देश पीएसए को आईआईपीडीएफ योजना के तहत वित्त पोषण प्राप्त करने से रोकने के लिए एक तंत्र प्रदान करेंगे और इसका उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे या बिना ठोस कारणों के पीपीपी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे।

4. आईआईपीडीएफ की संगठनात्मक संरचना – अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी

4.1 आईआईपीडीएफ योजना अनुमोदन समिति (एसी) द्वारा प्रशासित की जाएगी। अनुमोदन समिति की संरचना इस प्रकार है:

- संयुक्त सचिव आईएसडी, आर्थिक कार्य विभाग – अध्यक्ष
- नीति आयोग के प्रतिनिधि,
- उप सचिव/निदेशक (पीआईयू), आर्थिक कार्य विभाग – सदस्य सचिव

4.2 अनुमोदन समिति आईआईपीडीएफ योजना से वित्तपोषण पर विचार करेगी और अनुमोदित करेगी जैसा कि पैरा 3 पूर्व में विस्तार से वर्णित है।

4.3 आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार की निजी निवेश इकाई (पीआईयू) आईआईपीडीएफ योजना के तहत सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए अनुमोदन समिति को सहायता कार्य प्रदान करेगी।

5. सलाहकारों/टीए की नियुक्ति

5.1 सलाहकारों/टीए की नियुक्ति पीएसए द्वारा प्रापण की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से की जाएगी, जिसमें आर्थिक कार्य विभाग के पैनल में शामिल टीए की सूची से या किसी अन्य केंद्रीय मंत्रालय/विभाग या राज्य सरकार लागू जीएफआर के अनुसार के पैनल में शामिल टीए की सूची से या नामांकन के आधार पर शामिल हैं।

6. आईआईपीडीएफ योजना के तहत संवितरण

6.1 एक बार जब प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्त पोषण के लिए अनुमोदित कर दिया जाता है, तो समय-समय पर संवितरण को संयुक्त सचिव, आईएसडी के स्तर पर अनुमोदित किया जाएगा।

6.2 सलाहकार/टीए की लागत का संवितरण पीएसए से प्राप्त अनुरोध पर टीए को आगे भेजने के अनुरोध पर किया जाएगा, जो निम्नानुसार हासिल की गई उपलब्धि (माइल-स्टोन) के आधार पर होगा:

भुगतान मानक (माइल-स्टोन)	**आईआईपीडीएफ योजना के तहत अनुमोदित समग्र वित्त पोषण या 5 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के अधीन टीए बोली राशि के प्रतिशत के रूप में भुगतान**
पीएसए को प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना	10%
पीएसए को व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करना	10%
पीएसए को डीपीआर प्रस्तुत करना	15%
पीएसए द्वारा आरएफपी का फ्लोटिंग	15%
पीएसए द्वारा बोली मूल्यांकन चरण को पूरा करना और एलओए जारी करना	25%
रियायत समझौते पर हस्ताक्षर और टीए के पोर्टल के सभी संगत दस्तावेजों को अपलोड करना (यदि टीए पैनल में शामिल है) – तकनीकी समापन	25%

भुगतान मानक (माइल-स्टोन)	आईआईपीडीएफ योजना के तहत अनुमोदित समग्र वित्त पोषण या 5 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के अधीन टीए बोली राशि के प्रतिशत के रूप में भुगतान
अतिरिक्त प्रोत्साहन, यदि परियोजना मूल रूप से अनुदान घटक के साथ योजनाबद्ध थी, लेकिन प्रीमियम के साथ तकनीकी समापन (रियायत समझौते पर हस्ताक्षर) प्राप्त किया। संवितरण राशि वितरण के अंतिम चरण के साथ किया जाएगा।	5%

6.3 अनुमोदन समिति परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण के विशिष्ट अनुरोध के आधार पर उपरोक्त में भिन्नता में वितरण मानक (माइल-स्टोन) पर विचार कर सकती है।

6.4 आगे / क्रमिक चरणों के लिए संवितरण पीएसए द्वारा पिछले संवितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

6.5 यदि किसी कारण से, पीपीपीपी प्रापण प्रक्रिया के किसी भी चरण में परियोजना को समाप्त कर दिया जाता है, तो संवितरण केवल हासिल की गई उपलब्धि (माइल-सटोन) तक ही किया जाएगा और आगे कोई संवितरण नहीं किया जाएगा।

7. दिशानिर्देश या आईआईपीडीएफ योजना

7.1 आर्थिक कार्य विभाग समय-समय पर आईआईपीडीएफ योजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करेगा।

8. योजना और दिशानिर्देशों में संशोधन

8.1 अनुमोदन समिति की सिफारिशों पर सचिव, आर्थिक कार्य के अनुमोदन से आईआईपीडीएफ की योजना और दिशानिर्देशों में संशोधन किया जा सकता है।

भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) योजना के लिए दिशानिर्देश

1. प्रयोज्यता

1.1 केंद्र सरकार ने आईआईपीडीएफ योजना अधिसूचित की है। इन दिशानिर्देशों को आईआईपीडीएफ योजना के साथ पढ़ा जाना है।

1.2 केंद्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं के निरूपण, मूल्यांकन और अनुशंसा के लिए दिशानिर्देशों में दिए गए पीपीपी की परिभाषा के तहत कवर की गई किसी भी परियोजना के लिए परियोजना विकास व्यय (पीडीई) को आईआईपीडीएफ के तहत वित्त पोषण के लिए रखा जा सकता है।

1.3 परियोजना प्रस्ताव केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई), सांविधिक प्राधिकरणों या उनके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अन्य संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत

किया जा सकता है, जिन्हें इसके बाद परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण या पीएसए कहा जाएगा।

1.4 परियोजना प्रस्ताव समय-समय पर आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अधिसूचित वीजीएफ योजना के अंतर्गत आने वाले अवसंरचना उप क्षेत्रों और क्षेत्रों की सुसंगत मास्टर सूची के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र से हो सकता है।

1.5 परियोजना प्रस्ताव टीए की नियुक्ति के किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. परिभाषाएं

2.1. **पीडीई** - परियोजना विकास व्यय में पीएसए द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन, पर्यावरण प्रभाव अध्ययन, वित्तीय संरचना, कानूनी समीक्षा और परियोजना प्रलेखन के विकास के संबंध में किए गए खर्च शामिल हो सकते हैं, जिसमें रियायत समझौता, वाणिज्यिक मूल्यांकन अध्ययन (यातायात अध्ययन, मांग मूल्यांकन, मूल्यांकन की भुगतान क्षमता सहित) शामिल हैं, व्यक्तिगत या टर्नकी आधार पर, ऐसी परियोजनाओं के तकनीकी समापन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक परियोजनाओं की ग्रेडिंग आदि), लेकिन इसमें पीएसए द्वारा अपने स्वयं के कर्मचारियों पर किए गए खर्च शामिल नहीं होंगे।

2.2. **लेन-देन सलाहकार** - परियोजना को डिजाइन करने और/या परियोजना डिजाइन के लिए तकनीकी, वित्तीय और कानूनी इनपुट प्रदान करने और पीपीपी परियोजना के लिए निजी क्षेत्र के भागीदार प्रापण की प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए सलाह प्रदान करने में सहायता करने के लिए प्रायोजक अधिकारियों द्वारा प्रापण की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। इनमें आर्थिक कार्य विभाग के लेनदेन सलाहकारों के पैनल से या किसी अन्य केंद्रीय मंत्रालय/विभाग या राज्य सरकार के पैनल में शामिल टीए की सूची से या लागू जीएफआर के अनुसार नामांकन के आधार पर चयनित लेनदेन सलाहकार भी शामिल हैं।

2.3 किसी भी योजना/बोली दस्तावेज/कानून/विनियम या इन दिशानिर्देशों में अन्यथा परिभाषित किए गए के सिवाय इन दिशानिर्देशों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों का सामान्य अर्थ होगा, जो केंद्रीय क्षेत्र की सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुशंसा के लिए दिशानिर्देशों के हिस्से के रूप में दी गई 'परिभाषाओं' में दिया गया है।

3. संस्थागत संरचना

आईआईपीडीएफ योजना के संचालन के लिए संस्थागत संरचना आईआईपीडीएफ योजना में निर्धारित अनुमोदन समिति (अनुमोदन समिति) होगी। अनुमोदन समिति अपनी प्रक्रिया को परिभाषित कर सकती है और साथ ही योजना के तहत वित्त पोषण के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी प्रारूप आदि को अनुमोदित कर सकती है।

4. पीडीई के वित्तपोषण के लिए एक परियोजना प्रस्ताव के अनिवार्य घटक

4.1. पीपीपी परियोजना के लिए परामर्शदाताओं/लेन-देन सलाहकारों की लागत (पीडीई) को पूरा करने के लिए फंडिंग का उपयोग किया जाता है।

4.2. पीपीपी परियोजना के रूप में परियोजना की पात्रता के संबंध में अनुमोदन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

4.3. टीए को पीएसए द्वारा प्रबंधन की पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा, जिसमें आ.का.वि. के पैनल में शामिल टीए की सूची से या किसी अन्य केंद्रीय मंत्रालय/विभाग या राज्य सरकार के पैनल में शामिल टीए की सूची से या नामांकन के आधार पर लागू जीएफआर के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

4.4. आ.का.वि. के पास आईआईपीडीएफ योजना के तहत वित्त पोषण के माध्यम से विकसित परियोजना दस्तावेजों के उपयोग के सभी अधिकार होंगे।

5. परियोजना पहचान और टीएएस की ऑनबोर्डिंग

5.1 परियोजना की पहचान और लागत की तार्किता सुनिश्चित करने सहित परामर्शदाताओं/लेनदेन सलाहकारों के बोर्डिंग की जिम्मेदारी पीएसए की है।

6. आईआईपीडीएफ तंत्र और अनुमोदन समिति (अनुमोदन समिति) द्वारा वित्त पोषण की स्वीकृति

6.1 परियोजना का पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करना पीएसए की जिम्मेदारी है। आईआईपीडीएफ योजना से परियोजना विकास निधि प्राप्त करने के लिए, पीएसए विचारार्थ ज्ञापन (इन दिशानिर्देशों के अनुबंध-I) के माध्यम से डीईए में अनुमोदन समिति (अनुमोदन समिति) पर लागू होगा। अनुबंध-II केवल पीएसए को पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है और प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

6.2 आईआईपीडीएफ योजना के तहत वित्त पोषण की मांग करने वाले प्रस्तावों पर अनुमोदन समिति द्वारा विचार और अनुमोदन किया जाएगा।

6.3 आ.का.वि. में पीआईयू, अनुमोदन समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा और परियोजना प्रस्ताव की प्राप्ति के 1 महीने के भीतर परियोजना प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अनुमोदन समिति की बैठक बुलाएगा।

6.4 अनुमोदन समिति या तो सशर्त या बिना किसी शर्त के वित्त पोषण के लिए अनुमोदन प्रदान कर सकता है या पीएसए को संशोधन करने के लिए कह सकता है और अनुमोदन समिति के विचार के लिए प्रस्ताव को फिर से जमा कर सकता है।

6.5 सभी मामलों में, परियोजना विकास व्यय को निधि देने या न देने का निर्णय अनुमोदन समिति के विवेक पर होगा।

6.6 आईआईपीडीएफ के तहत एकल परियोजना प्रस्ताव (परियोजना टीए) के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक का वित्तपोषण होगा। 5 करोड़ रुपये से अधिक की कोई भी आवश्यकता पीएसए द्वारा ही देखा जा सकता है।

6.6.1 यदि लेनदेन सलाहकार एक खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से, या आ.का.वि. के पैनल में शामिल लेनदेन सलाहकार की सूची के माध्यम से या किसी अन्य केंद्रीय मंत्रालय/विभाग के पैनल में शामिल लेनदेन सलाहकार की सूची के माध्यम से शामिल है, तो आईआईपीडीएफ के तहत वित्तपोषण 5 करोड़ रुपये की सीमा के अध्यधीन लेनदेन सलाहकार की पूरी लागतें तक होगा।

6.6.2 यदि लेनदेन सलाहकार पीएसए विशिष्ट नियमों और विनियमों और लागू जीएफआर के अनुसार पीएसए द्वारा नामांकन के आधार पर लेनदेन सलाहकार का चयन किया जाता है, तो फंडिंग कुल लेनदेन सलाहकार लागत का 50% या रु.5 करोड़ तक, जो भी कम हो, होगी।

6.7 क्या परियोजना के विकास व्ययों का वित्त पोषण एक-एक अंश (पूर्व-व्यवहार्यता, व्यवहार्यता, आरएफपी तैयार करने और अस्थायी, आदि के स्तरों के लिए अलग-अलग) में या एक बार में किया जाना है, इस योजना के तहत एकल परियोजना के लिए वित्तपोषण की कुल मात्रा 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

6.8 पीएसए इस योजना के तहत परियोजना की जटिलता और आकार पर विचार करते हुए पीडीई के वित्त पोषण की मांग करेगा। पीएसए हमेशा उचित सीमा के भीतर पीडीई के वित्तपोषण की मांग को सीमित करेगा।

6.9. पीडीई की अंतिम रिलीज अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित वित्तपोषण या बोली के माध्यम से निर्धारित वास्तविक पीडीई लागत या 5 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के अधीन होगी।

7. आईआईपीडीएफ से अन्य अनुदान

7.1 अवसंरचना में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, सेमिनारों का आयोजन, पीपीपी को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं, बुनियादी तकनीकी चुनौतियां, इंफ्राटेक परियोजना प्रस्तावों का वित्तपोषण, आदि, इस योजना के तहत उपलब्ध धन के माध्यम से मामला-दर-मामला आधार पर किया जा सकता है।

7.2 इसके अलावा, आ.का.वि. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने सहित पेशेवर सेवाओं के विशिष्ट असाइनमेंट के लिए परामर्शदाताओं/टीए को नियुक्त करने के लिए आईआईपीडीएफ योजना के तहत धन का उपयोग भी कर सकता है।

7.3 वित्तपोषण एक बार के लिए संगोष्ठी/कार्यशाला/पेशेवर सेवाओं के खर्च आदि के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये होगा।

7.4 वार्षिक बजट का अधिकतम 20% और साथ ही योजना के कुल परिव्यय का **20%** ऐसे प्रशिक्षणों/सेमिनार/कार्यशाला/पेशेवर सेवा व्यय आदि के लिए निर्धारित किया गया है।

7.5 ऐसी सभी निधियों का अनुमोदन अनुमोदन समिति के स्तर पर किया जाएगा।

8. आईआईपीडीएफ के तहत संवितरण

8.1 पीएसए द्वारा एक आवेदन को अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद आईआईपीडीएफ वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और फंडिंग की मिसाल के रूप में शर्तों को पूरा किया गया है।

8.2 अनुमोदित वित्त पोषण संयुक्त सचिव, आईएसडी के अनुमोदन से जारी किया जाएगा।

8.3 पीडीई (टीए लागत) पीएसए द्वारा निर्धारित प्रारूप (अनुबंध- **III)** में योजना में परिभाषित उपलब्धियों के अनुसार या अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित के रूप में, जैसा मामला हो, पीएसए द्वारा धन जारी करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने पर वितरित किया जाएगा।

8.4 आईआईपीडीएफ योजना के तहत वित्त पोषण का प्रस्ताव परियोजना विकास के किसी भी स्तर पर पीएसए द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि, पीएसए द्वारा पहले से ही वहन की गई लागतों का कोई पूर्वव्यापी वित्तपोषण नहीं होगा।

8.5 यदि टीए के आरंभ होने से पहले वित्तपोषण की मांग की जाती है, तो अनुमोदन समिति निम्नलिखित के अधीन वित्तपोषण को मंजूरी देगा:

8.5.1 वित्त पोषण अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित अनुमानित लागत या पारदर्शी तंत्र के माध्यम से पायी गई वास्तविक लागत या 5 करोड़ रु., जो भी कम हो, के अधीन दिया जाएगा।

8.5.2 यदि पीएसए नकारात्मक पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट के कारण परियोजना को रोकने का निर्णय लेता है, तो अनुमोदित टीए लागत का केवल पूर्व-व्यवहार्यता लागत-घटक, यदि कोई हो, संवितरित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, पूर्व-व्यवहार्यता लागत-घटक, यदि कोई हो, के अलावा कोई और संवितरण नहीं किया जाएगा।

8.6 यदि टीए की आरंभ होने के बाद किसी भी स्तर पर वित्तपोषण की मांग की जाती है, तो पहले से हासिल की गई और हासिल की जाने वाली परियोजना के अनुसार, जैसा कि अनुमोदन समिति द्वारा तय किया गया है, ऊपर 8.4 के अधीन संवितरण शुरू होगा।

8.7 इस योजना के तहत स्वीकृत वित्त पोषण के 5% का अतिरिक्त प्रोत्साहन, पीएसए को टीए को आगे सौंपने के लिए भुगतान किया जाएगा यदि मूल रूप से अनुदान घटक के साथ परियोजना की योजना बनाई गई थी लेकिन प्रीमियम के साथ तकनीकी रूप से हासिल की गई थी। यह संवितरण के अंतिम चरण के साथ संवितरित किया जाएगा।

8.8 पीएसए द्वारा सलाहकार/टीए को राशि जारी करने को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करने वाले

पिछले संवितरण का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आगे/क्रमिक स्तरों के लिए संवितरण किया जाएगा। अंतिम संवितरण के लिए, पीएसए को उसी तरह से उपयोगिता प्रमाण पत्र को तुरंत जमा करने की आवश्यकता है।

8.9 योजना के तहत संवितरण तंत्र भारत सरकार के समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन में होगा।

8.10 यदि आवश्यकता होती है, तो अनुमोदन समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले उपयुक्त फॉर्मूले के आधार पर वित्त पोषण प्रदान किया जा सकता है, जो कि सभी क्षेत्रों और स्थानों की आवश्यकता को इस तरह से संतुलित करता है, जो क्षेत्रीय और स्थानीय कवरेज को व्यापक आधार प्रदान करेगा और कुछ बड़ी परियोजनाओं द्वारा धन की प्रीमेप्टिंग से बच जाएगा।

8.11 यदि किसी कारण से, पीपीपीपी खरीद प्रक्रिया के किसी भी चरण में परियोजना को समाप्त कर दिया जाता है, तो संवितरण केवल प्राप्त की गई उपलब्धियों तक ही किया जाएगा और आगे कोई संवितरण नहीं किया जाएगा।

8.12 यह पीएसए की जिम्मेदारी होगी कि वह टीए को समय पर धनराशि जारी करे। पीएसए और टीए के बीच किसी भी विवाद के लिए आ.का.वि. जिम्मेदार/पार्टी नहीं होगा।

9. परियोजना विकास व्यय निधिकरण की प्रकृति

9.1 परियोजना विकास निधि सहायता अनुदान के रूप में होगी और इसकी वसूली नहीं की जाएगी।

9.2 आईआईपीडीएफ के माध्यम से वित्त पोषण की राशि परियोजना की कुल परियोजना लागत का हिस्सा नहीं होगी, अर्थात इसे परियोजना के सफल बोलीदाता (रियायतीग्राही) से वसूल नहीं किया जाएगा।

9.3 हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएसए इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के बाद, बिना किसी ठोस कारण के पीपीपी की प्रक्रिया को मनमाने ढंग से समाप्त नहीं करते हैं, निम्नलिखित तंत्र स्थापित किया गया है:

9.3.1 एक पीएसए को आईआईपीडीएफ योजना के तहत आगे के वित्त पोषण तक पहुंच नहीं हो सकती है यदि:

9.3.1.1 अनुकूल/उत्साहजनक व्यवहार्यता अध्ययन के बावजूद पीपीपी परियोजना प्रक्रिया को आगे जारी नहीं रखा गया है।

9.3.1.2 आरएफपी जारी करने और बाजार प्रतिक्रिया और वैध बोलियां प्राप्त करने के बाद बोली समाप्त नहीं की जाती है/ एलओए जारी नहीं किया जाता है,

9.3.1.3 रियायत समझौता पत्र जारी होने के बाद भी निष्पादित नहीं किया जाता है,

9.3.2 इसके अलावा, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्रीय मंत्रालय/विभाग के किसी भी पीएसए के आईआईपीडीएफ के तहत वित्त पोषण के लिए अपात्र होने के कुल तीन मामलों के प्रकरणों में, ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्रीय मंत्रालय/विभाग और इसके सभी पीएसए आईआईपीडीएफ योजना के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए वित्त पोषण लेने के लिए अपात्र हो जाएंगे।

10. निगरानी

10.1 पीएसए परियोजना के विकास की नियमित निगरानी और एमएफसी में प्रतिबद्ध और अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित उपलब्धियों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।

10.2 पीएसए अंततः जीएफआर की उचित प्रक्रिया और उनके वित्तीय नियमों और पूरी प्रक्रिया के लिए किसी भी अन्य वैधानिक या नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन और वित्तीय औचित्य सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। टीए की लागत की खोज लागू जीएफआर के अनुसार पीएसए की जिम्मेदारी होगी।

10.3 पीएसए को उपयुक्त वेबसाइट पर परियोजना विशिष्ट डेटा को अद्यतन करने की भी आवश्यकता हो सकती है जैसा कि आ.का.वि. द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाता है।

11. दिशानिर्देशों में छूट

11.1 अनुमोदन समिति पीएसए से प्राप्त विशिष्ट अनुरोधों और मामले के गुण-दोष के आधार पर परियोजना विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर मामला दर मामला आधार पर इन दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान में ढील दे सकता है।

अनुबंध - I

विचारात्मक ज्ञापन (एमएफसी#) आवेदन पत्र

(आईआईपीडीएफ योजना के लिए दिशानिर्देशों के तहत)

क्र.सं.	विवरण	प्रतिक्रिया
I.	परियोजना का नाम	
II.	सहायता का उद्देश्य (टीए/सलाहकार/पीपीपी प्रकोष्ठ आदि)	
III.	एनआईपी आईडी	
IV.	क्षेत्र*	
V.	परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण	
VI.	स्थान/ (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/जिला/कस्बा)	
VII.	परियोजना की आवश्यकता	
VIII.	संक्षिप्त परियोजना विवरण	
IX.	परियोजना कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित पीपीपी संरचना[$] : बीओटी (और इसके प्रकार) वार्षिकी (और इसके प्रकार), ओएमडीए (और इसके प्रकार), लीज मैनेजमेंट, इनविट आदि.	
X.	समय सीमा और भुगतान प्रतिशत के साथ टीए के लिए प्रस्तावित उपलब्धियाँ (यदि आईआईपीडीएफ योजना में दिए गए उपलब्धियों के विचलन में)	
XI.	परियोजना के संभावित प्रभाव (प्रभाव) :	
XII.	कुल अनुमानित परियोजना विकास व्यय/वास्तविक टीए लागत (यदि टीए पहले से ही उपलब्ध है)	
XIII.	अनुमानित/वास्तविक लागत के घटक	
XIV.	आईआईपीडीएफ में मांगा गया योगदान	
XV.	संलग्न 1. पूर्व-व्यवहार्यता विवरण (यदि कोई हो) 2. यदि टीए पहले से ही उपलब्ध (ऑनबोर्ड) है तो आवेदन के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है: क. चाहे खुले बाजार के माध्यम से या पैनल में शामिल टीए के माध्यम से या नामांकन आधार आदि के माध्यम से उपलब्ध (ऑनबोर्ड) कराया है। ख. टीए नियुक्ति के टीओआर की प्रति। टीए के साथ समझौते की प्रति। ग. हासिल की गई उपलब्धियों का पूरा विवरण। घ. पीएसए से प्रमाण पत्र कि उसने अपने लागू जीएफआर के	

क्र.सं.	विवरण	प्रतिक्रिया
	अनुसार टीए को उपलब्ध (ऑनबोर्ड) कराया है। 3. कोई भी अन्य	
XVI.	**पिछले टीए का परिणाम, यदि आ.का.वि द्वारा वित्त पोषित है**	

* क्षेत्र और उप-क्षेत्र समय-समय पर आ.का.वि. द्वारा अधिसूचित अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची के अनुसार होना चाहिए।

$ यह सूची विस्तृत नहीं है और पीपीपी परियोजना कार्यान्वयन के किसी अन्य तरीके पर अनुमोदन समिति द्वारा विचार किया जा सकता है।

पीएसए स्पष्ट रूप से इंगित कर सकता है कि क्या प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पीएसए के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम

दिनांकः

अनुबंध- II

प्रारंभिक/पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट की विषय-वस्तु की सांकेतिक तालिका

(प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है - केवल दिशानिर्देशन उद्देश्य के लिए)

1. परिचय
2. मौजूदा परियोजना परिदृश्य (पुनर्वास, उन्नयन, सुधार और/या वृद्धिशील निवेश की आवश्यकता सहित - परियोजना की आवश्यकता को प्रकाशित करने के लिए)
3. परियोजना प्रस्ताव (व्यापक परियोजना अवधारणा और घटकों, ब्लॉक लागत अनुमानों, राजस्व ढांचों आदि को सम्मिलित करना)
4. प्रारंभिक परियोजना मूल्यांकन
   - 4.1 तकनीकी व्यवहार्यता
   - 4.2 पर्यावरण और सामाजिक स्वीकार्यता
   - 4.3 वित्तीय और वाणिज्यिक व्यवहार्यता
   - 4.4 कानूनी ढांचा
   - 4.5 जोखिम (विकास, निर्माण और संचालन/कार्यान्वयन के दौरान)
   - 4.6 संविदात्मक और कार्यान्वयन संरचनाएं।
5. परियोजना विकास कार्यकलाप
   - 5.1 परियोजना विकास चक्र
   - 5.2 समय रेखाएँ
   - 5.3 समीक्षाएँ और जांच
   - 5.4 तकनीकी/पर्यावरण और सामाजिक/वित्तीय/ विधिक परामर्शदाता, इनके काम का दायरा
   - 5.5 लेनदेन सलाहकार, इनके काम का दायरा
   - 5.6 विपणन
   - 5.7 खरीद प्रक्रिया
   - 5.8 अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
6. परियोजना विकास के लिए वित्तपोषण आवश्यकताएँ
   - 6.1 परियोजना विकास व्यय के लिए बजट
   - 6.2 कमी [ड्रॉडाउन] (सांकेतिक त्रैमासिक बजट और प्रत्येक कार्यकलाप के लिए अनुमानित उपलब्धि से जुड़े हुए भुगतान)
7. सिफारिशें, यदि कोई हो।

अनुबंध – III

आईआईपीडीएफ योजना के अंतर्गत पीएसए को निधियां जारी करने के लिए परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण से अनुरोध का प्रारूप

दिनांक

पीएसए का नाम

पता

प्रिय श्री,

1. कृपया दिनांक..... के अपने पत्र संख्या..... का संदर्भ लें जिसमें भारतीय अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) योजना के अंतर्गत अनुमोदन समिति ने अपनी बैठक संख्या..... दिनांक..... में (सेक्टर, अवस्थिति जैसे परियोजना का ब्यौरा, संक्षिप्त विवरण जैसे क्षेत्रफल/क्षमता इत्यादि दें) अवस्थित परियोजना हेतु (पीएसए का नाम) के लिए रूपये..... के परियोजना विकास व्यय की मंजूरी सूचित की गई है।

2. मैं यह पत्र उपरोक्त परियोजना में किए गए **टीए/परामर्शदाता व्यय** की प्रतिपूर्ति/भुगतान के लिए अनुरोध करने हेतु लिख रहा हूं। लेन-देन सलाहकार/परामर्शदाता .....(नाम) जिन्हें कुल टीए व्यय रूपये ..... पर दिनांक ..... के पत्राचार के माध्यम से नियुक्त किया गया था, इन्होंने मूल्यांकन समिति द्वारा यथाअनुमोदित ..... स्तर के लिए उपलब्धि प्राप्त कर ली है। विधिवत रूप से प्रमाणित उपलब्धि दस्तावेज़ आपके सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है। हम प्राप्त उपलब्धि के अनुसार .....रुपये के व्यय राशि *(राशि शब्दों में)* जारी करने का अनुरोध करते हैं। (पीएसए के बैंक खाते का विवरण उपलब्ध कराया जाए)

बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें प्रतिपूर्ति राशि भेजने का अनुरोध किया गया है:

खाते का नाम	बैंक का नाम जिसमें खाता है	खाता सं.	आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएफएससी कोड

परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम मुहर सहित

दिनांक

पीएसए द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (उस उपलब्धि के अनुसार जिसके लिए धन की मांग की गई है):

क. पूर्व–व्यवहार्यता का पूरा विवरण प्रदान करने और दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता है हैं। यह इंगित करना चाहिए कि क्या पूर्व–व्यवहार्यता घर में या बाहरी सलाहकार के माध्यम से की गई थी।

ख. निम्नलिखित विवरण बताते हुए पीएसए से प्रमाण पत्र:-

- कि पूर्व व्यवहार्यता/टीए लागत के लिए दावा की गई लागत का विवरण सही और उचित है,
- लागत वास्तव में केवल इस परियोजना पर परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा वहन की गई है।
- दावा की गई लागत परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण के अपने स्टाफ द्वारा वहन नहीं की गई है।
- टीए के चयन का तरीका खरीद की पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से / डीईए के पैनल में शामिल टीए की सूची के माध्यम से / किसी अन्य केंद्रीय मंत्रालय / विभाग / राज्य सरकार के पैनल में शामिल टीए की सूची के माध्यम से / नामांकन के आधार पर जीएफआर के लागू नियम के अनुसार है। (जो लागू न हो उसे काट दें)

ग. नियुक्ति के टीओआर की प्रति। टीए के साथ समझौते की प्रति।

घ. हासिल की गयी उपलब्धि का पूरा विवरण।

ङ. यदि आरएफक्यू/आरएफपी/डीसीए तैयार किया जाता है तो उसकी एक प्रति सॉफ्ट कॉपी और भौतिक प्रति में।

च. प्रासंगिक उपलब्धि के लिए भुगतान के मामले में हस्ताक्षरित रियायत समझौते की प्रति का अनुरोध किया जाता है।

छ. क्या टीए के ऑनबोर्डिंग के प्रासंगिक विवरण डीईए पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं

ज. अब तक आईआईपीडीएफ योजना के तहत परियोजना पर पहले किए गए संवितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि आईआईपीडीएफ योजना के तहत वितरित की गई सभी राशियों को टीए को अंतरित कर दिया गया है।

झ. टीए के ऑनबोर्डिंग के बाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के मामले में, प्राप्त बोलियों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान किया जा सकता है:-

क्र.सं.	टीए बोलीदाता का नाम	वित्तीय उद्धरण प्राप्त	विजेता बोलीदाता	परियोजना की पूरी हुई और शेष उपलब्धियां
1.				
2.				
3.				